राष्ट्रोद्धारो लघूद्यमैः

लघु उद्योग भारती

Registration No. RAJBIL/2016/69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

UDYOG TIMES

Volume - 5 Issue - 12 October 2022
Total Pages - 20 Price - Rs. 10

CHANGING CREDIT SCENARIO OF MSMEs

A WELCOME STEP

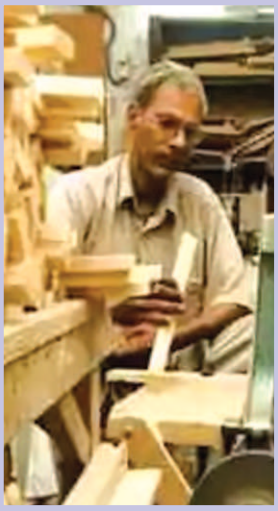

A Two Members Delegation of Ministry of Trade & Industry, Govt. of Singapore met LUB's Assam Unit for better understanding for Bilateral Cooperation & Opportunities.

LUB's Himachal Pradesh State Unit Celebrated Pariwar Milan on the Auspicious Occasion of Diwali Festival.

LUB's Beawer Unit Women Wing conducted an Orientation Program Intro with Bank in association with Local Branch of Yes Bank on 15th October, 2022.

Under the Scheme of Railways One Station-One Product; the Stall of Kalyani Kutir run by LUB was inaugurated by Collector Dungarpur Shri Indrajit Yadav, Mayor Shri Amritlal Kalasua and Gram Shilpi Prakoshth Member Shri Yogendra Sharma.

Balod of Chhattisgarh State witnessed the Digital Banking Unit on 16th October, 2022.

Inspiring Initiative: LUB has started an Employment Creation Centre in Rungta College of Engineering & Technology, Durg District of Chhattisgarh State.

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -5 **Issue - 12** **October, 2022**

Editorial Board

■ **Patron**

Shri (Dr.) Krishna Gopal ji, Sampark Adhikari

Shri Prakash Chandra, National Org. Secretary 094685-78166

Shri Baldevbhai Prajapati National President 098241-55666

Shri Ghanshyam Ojha, National Gen. Secretary 098290-22896

■ **Publisher**

Om Prakash Mittal, Past President 094140-51265

■ **Editor**

Dr. Kirti Kumar Jain 094141-90383

■ **Associate Editor**

Mahendra Kumar Khurana 098290-68865

■ **Co-Editor**

Dr. Sanjay Mishra 098295-58069

विवरणिका

Editorial	03-03
'राष्ट्रीय नवोत्थान की प्रक्रिया को अब ...	04-06
New Draft for Common Income-Tax Return....	07-08
Rupee Depreciation pushes RBI	10-10
MSMEs can Continue to Avail Non-Tax...	11-12
DPIIT notifies establishment of...	13-14
राजस्थान प्रदेश का क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन ...	15-15
LUB's News in Brief....	17-18

Price - 10/- ***Life Membership 1000/-***

An In-House Monthly Magazine of Laghu Udyog Bharati published by Om Prakash Mittal
Mail: opmittal10256@gmail.com Web : www.lubindia.com

Corporate Office & Head Office :
Plot No. 48, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002
Ph.: 011-23238582

Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

Developing MSME Credit Scenario

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

When we go by latest statistics, it seems the credit scenario for the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector is gradually improving. During the pandemic period, the sector went through the toughest time ever, but in 2021-22 credit disbursement to MSMEs rose 32%. Priority sector lending to MSMEs also rose 5% between March-August 2022-23, and now with some latest data, this positive trend seems to be confirmed.

According to the MSME ministry, credit flow to the sector under the Credit Guarantee Scheme (CGS), under which collateral-free credit is provided to MSMEs, has increased nearly to the pre-Covid levels. According to official data, an amount of Rs. 45,043 crore was approved over the first half of the current fiscal. This data is encouraging.

Similarly, under the Mudra scheme, loan disbursal witnessed around 8% increase during the first half of the current financial year. Under this scheme banks, NBFC and other lending institutions disbursed loans worth Rs. 1.58 lakh crore as of October 7 of 2022. This is also encouraging that under the scheme NPA percentage came down to 3.17% y-o-y (from 3.61%) and gross NPA in the MSME sector improved to 9.3% y-o-y in March 2022 (from 10.8%).

Another data set shows that under SIDBI's 59-minute loan approval scheme, MSMEs were sanctioned 2,42,812 loans amounting to Rs. 82,822 crore as of September 30, 2022 against 2,34,905 loans amounting to Rs. 78,409 crore sanctioned as of September 30, 2021. Loan disbursal by the microfinance sector has also improved, with the sector recording 88.9% growth in loan disbursal, amounting to Rs. 49,788 crore during April-June 2022-23.

I invite your opinions.

'राष्ट्रीय नवोत्थान की प्रक्रिया को अब सामान्य व्यक्ति भी अनुभव कर रहा है'

प्रेरक पाथेय

डॉ. मोहनराव भागवत,
प.पू. सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(श्री विजयादशमी उत्सव के अवसर पर दिए उद्‌बोधन का संक्षिप्त एवं चयनित अंश)

भारत के नवोत्थान के उषा काल की पहली आहट से हमारे सभी महापुरुषों ने इस रूढ़ि को त्यागकर; मातृशक्ति को एकदम देवता स्वरूप मानकर पूजा घर में बंद करना अथवा द्वितीय श्रेणी की मानकर रसोई घर में मर्यादित कर देना, इन दोनों अतियों से बचते हुए उनके प्रबोधन, सशक्तिकरण तथा समाज के सभी क्रियाकलापों में, निर्णय प्रक्रिया सहित सर्वत्र बराबरी की सहभागिता पर ही जोर दिया है। तरह-तरह के अनुभवों की ठोकरें खा कर विश्व में प्रचलित व्यक्तिवादी तथा स्त्रीवादी दृष्टिकोण भी अब इस तरफ ही अपना विचार मोड़ रहा है। 2017 में विभिन्न संगठनों में काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारत की महिलाओं का बहुत व्यापक व सर्वांगीण सर्वेक्षण किया। वह शासन को भी पहुंचाया गया। उस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से भी मातृशक्ति के प्रबोधन, सशक्तिकरण तथा उनकी समान सहभागिता की आवश्यकता अधोरेखित होती है। यह कार्य कुटुम्ब स्तर से प्रारम्भ होकर संगठनों तक स्वीकृत व प्रचलित होना पड़ेगा, तब और तभी मातृशक्ति सहित सम्पूर्ण समाज की शक्ति राष्ट्रीय नवोत्थान में अपनी भूमिका का सफल निर्वाह कर सकेगी।

इस राष्ट्रीय नवोत्थान की प्रक्रिया को अब सामान्य व्यक्ति भी अनुभव कर रहा है। अपने प्रिय भारत के बल में, शील में तथा जागतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का निरन्तर क्रम देखकर हम सभी आनन्दित हैं। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली नीतियों का अनुसरण शासन के द्वारा हो रहा है। विश्व के राष्ट्रों में अब भारत का महत्व तथा विश्वसनीयता बढ़ गयी है। सुरक्षा क्षेत्र में हम अधिकाधिक स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से निकल कर गति से सम्हल कर हमारी अर्थव्यवस्था पूर्व स्थिति प्राप्त कर रही है। आधुनिक भारत के इस आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे का वर्णन नयी दिल्ली में कर्तव्य-पथ के उद्घाटन समारोह के समय प्रधानमंत्री जी से आपने सुना ही है। शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित यह दिशा अभिनन्दन योग्य है। परन्तु इस दिशा में हम सब मन वचन कर्म से एक होकर चलें, इसकी आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ने के लिए

अपने राष्ट्र के आत्म-स्वरूप को, शासन, प्रशासन व समाज स्पष्ट तथा समान रूप से समझता हो यह अनिवार्य पूर्व शर्त है।

अपने-अपने स्थान व परिस्थिति में उसके आधार पर बढ़ते समय आवश्यकता पड़ने पर कुछ लचीलापन धारण करना पड़ता है। तब आपसी समझदारी तथा विश्वास मिलकर अग्र कूच को कायम रखते हैं। विचार की स्पष्टता, समान दृष्टि तथा दृढ़ता, लचीलेपन की मर्यादा का भान प्रदान कर गलतियों से व भटकाव से बचाते हैं। शासन, प्रशासन, विभिन्न प्रकार के नेतागण तथा समाज इस प्रकार स्वार्थ व भेदभावों से परे होकर सहचित्त हो कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं, तब राष्ट्र प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। शासन प्रशासन तथा नेता-गण अपने कर्तव्यों को करेंगे ही, समाज को भी अपने कर्तव्यों का विचार पूर्वक निर्वहन करना चाहिए।

इस नवोत्थान की प्रक्रिया में अभी भी बाधाओं को पार करने का काम करना पड़ेगा। पहली बाधा है गतानुगतिकता! समय के साथ मनुष्यों की ज्ञाननिधि बढ़ती रहती है। समय के चलते कुछ चीज़ें बदलती है, कुछ विलुप्त हो जाती है। कुछ नयी बातें व परिस्थितियाँ जन्म भी लेती है। इसलिए नयी रचना बनाते समय हमें परम्परा व सामयिकता का समन्वय करना पड़ता है। कालबाह्य हुई बातों का त्याग कर नयी युगानुकूल व देशानुकूल परम्पराएं बनानी पड़ती है, उसी समय हमारी पहचान, संस्कृति, जीवन-दृष्टि आदि को अधोरेखित करने वाले शाश्वत मूल्यों का क्षरण न हो, उनके प्रति श्रद्धा व उनका आचरण, पूर्ववत बना रहे, इसकी सावधानी बरतनी पड़ती है।

दूसरे प्रकार की बाधाएं भारत की एकता व उन्नति को न चाहने वाली शक्तियां निर्माण करती हैं। गलत अथवा असत्य विमर्श को प्रसारित कर भ्रम फैलाना, आततायी कृत्य करना अथवा उसको प्रोत्साहन देना और समाज में आतंक, कलह व अराजकता को बढ़ाते रहना यह उनकी कार्य पद्धति का अनुभव हम ले ही रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ व द्वेष के आधार पर दूरियाँ और दुश्मनी बनाने का काम स्वतन्त्र भारत में भी उनके द्वारा चल रहा है। उनके बहकावे में न फ़सते हुए, उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही हो कर निर्भयतापूर्वक उनका निषेध व प्रतिकार करना चाहिए। शासन व प्रशासन के इन शक्तियों के नियंत्रण व निर्मूलन के प्रयासों में हमको सहायक बनना चाहिए। समाज का सबल व सफल सहयोग ही देश की सुरक्षा व एकात्मता को पूर्णत: निश्चित कर सकता है।

समाज की सशक्त भूमिका के बिना कोई भला काम अथवा कोई परिवर्तन यशस्वी व स्थायी नहीं हो सकता. यह सर्वत्र अनुभव है। अच्छी व्यवस्था भी लोगों का मन बनाएं बिना अथवा लोगों ने मन से स्वीकार नहीं की, तो चल नहीं पाती। विश्व में आये अथवा लाये गये सभी बड़े व स्थायी परिवर्तनों में समाज की जागृति के बाद ही व्यवस्थाओं तथा तंत्र में परिवर्तन आया है।

मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति बननी चाहिए यह अत्यंत उचित विचार है, और नयी शिक्षा नीति के तहत उस ओर शासन/प्रशासन पर्याप्त ध्यान भी दे रहा है। परन्तु अपनी संतति को मातृभाषा में पढ़ाना अभिभावक चाहते हैं क्या? अथवा तथाकथित आर्थिक लाभ अथवा Career (जिसके लिए शिक्षा से भी अधिक आवश्यकता उद्यम, साहस व सूझबूझ की होती है) की मृग मरीचिका के पीछे चली अंधी दौड़ में अपनी संतान को दौड़ाना चाहते हैं? मातृभाषा की प्रतिष्ठा की अपेक्षा शासन से करते समय हमें यह भी देखना होगा कि हम हमारे हस्ताक्षर मातृभाषा में करते हैं या नहीं? हमारे घर पर नामफलक मातृभाषा में लगा है कि नहीं? घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण-पत्र मातृभाषा में भेजे जाते हैं या नहीं?

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार-उन्मुख हो यह अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जाएगी। परन्तु रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, यह समझदारी समाज में भी बढ़ानी पड़ेगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है, परिश्रम, पूंजी तथा बौद्धिक श्रम सभी के महत्व समान है, यह मान्यता व तदनुरूप आचरण हम सबका होना पड़ेगा। उद्यमिता की ओर जाने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। प्रत्येक जिले में रोजगार प्रशिक्षण की विकेन्द्रित योजना बने तथा अपने जिले में ही रोजगार प्राप्त हो सकें, गाँवों में विकास के कार्यक्रम से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सुविधाएँ सुलभ हो जाएं, यह अपेक्षा सरकार से तो रहती ही है। परन्तु कोरोना की आपदा के समय कार्यरत रहने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भी अनुभव किया है कि समाज का संगठित बल भी बहुत कुछ कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, लघु उद्यमी, कुछ सम्पन्न सज्जन, कला कौशल के जानकार, प्रशिक्षक तथा स्थानीय स्वयंसेवकों ने लगभग 275 जिलों में स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर यह प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रारम्भिक अवस्था में ही रोज़गार सृजन में उल्लेखनीय योगदान देने में सफल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।

राष्ट्र-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सहभाग का यह विचार व आग्रह शासन को उनके दायित्व से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के उत्थान में समाज के सहभाग को साथ लेने की आवश्यकता तथा उसके लिए अनुकूल नीति निर्धारण की ओर इंगित करता है। अपने देश की जनसंख्या विशाल है, यह एक वास्तविकता है। जनसंख्या का विचार आजकल दोनों प्रकार से होता है। इस जनसंख्या के लिए उतनी मात्रा में साधन आवश्यक होंगे, वह बढ़ती चली जाए तो भारी बोझ- कदाचित असह्य बोझ बनेगी। इसलिए उसे नियंत्रित रखने का ही पहलू विचारणीय मानकर योजना बनाई जाती है। विचार का दूसरा प्रकार भी सामने आता है, उस में जनसंख्या को एक निधि - Asset - भी माना जाता है। उसके उचित प्रशिक्षण व अधिकतम उपयोग की बात सोची जाती है। पूरे विश्व की जनसंख्या को देखते हैं तो एक बात ध्यान में आती है। केवल अपने देश को देखते हैं तो विचार बदल भी सकता है। चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने की नीति बदलकर अब उसकी वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है। अपने देश का हित भी जनसंख्या के विचार को प्रभावित करता है। आज हम सबसे युवा देश हैं। आगे 50 वर्षों के पश्चात आज के तरुण प्रौढ़ बनेंगे, तब उनकी सम्हाल के लिए कितने तरुण आवश्यक होंगे, यह गणित हमें भी करना होगा। देश का जन अपने

पुरुषार्थ से देश को वैभवशाली बनाता है, साथ ही स्वयं व समाज का जीवन-निर्वाह भी सुरक्षित करता है। जनता के योगक्षेम, राष्ट्रीय पहचान तथा सुरक्षा के अतिरिक्त और भी कुछ पहलुओं को यह विषय छूता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाज को आह्वान का प्रारंभ से यही आशय रहा है। आज यह अनुभव आता है कि उस पुकार को सुनने-समझने को अब सब लोग तैयार हैं। अज्ञान, असत्य, द्वेष, भय, अथवा स्वार्थ के कारण संघ के विरुद्ध जो अपप्रचार चलता है उसका प्रभाव कम हो रहा है। क्योंकि संघ की व्याप्ति व समाज संपर्क में यानी संघ की शक्ति में लक्षणीय वृद्धि हुई है। दुनिया में सुने जाने के लिए सत्य को भी शक्तिशाली होना पड़ता है, यह जीवन की विचित्र वास्तविकता है। दुनिया में दुष्ट शक्तियां भी हैं, उनसे बचने के लिए व अन्यों को बचाने के लिए भी सज्जनों की संगठित शक्ति चाहिए। संघ इसी राष्ट्र विचार का प्रचार-प्रसार करते हुए सम्पूर्ण समाज को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। यही हिन्दू समाज के संगठन का काम है, क्योंकि इस राष्ट्र विचार को हिन्दू राष्ट्र का विचार कहते हैं और वह है भी। इसलिए संघ इस राष्ट्र विचार को मानने वाले सबका यानी हिन्दू समाज का संगठन, हिन्दू धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिन्दू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए, 'सर्वेषां अविरोधेन' काम करता है।

तथाकथित अल्पसंख्यकों में बिना कारण एक भय का हौवा खड़ा किया जाता है कि हम से अथवा संगठित हिन्दू से खतरा है। ऐसा न कभी हुआ है, न होगा। न यह हिन्दू का, न ही संघ का स्वभाव या इतिहास रहा। अन्याय, अत्याचार, द्वेष का सहारा लेकर गुंडागर्दी करने वाले समाज की शत्रुता करते हैं तो आत्मरक्षा अथवा आत्मरक्षा तो सभी का कर्तव्य बन जाता है। 'ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप', ऐसा हिन्दू समाज खड़ा हो, यह समय की आवश्यकता है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। संघ पूरी दृढ़ता के साथ आपसी भाईचारा, भद्रता व शांति के पक्ष में खड़ा है। ऐसी चिन्ताएँ मन में रखकर तथाकथित अल्पसंख्यकों में से कुछ सज्जन गत वर्षों में मिलने के लिए आते रहे हैं। उनसे संघ के कुछ अधिकारियों का संपर्क संवाद हुआ है, होते रहेगा।

भारतवर्ष प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। उसकी उस पहचान व परंपरा की धारा के साथ तन्मयतापूर्वक अपनी-अपनी विशिष्टता को रखते हुए हम सभी प्रेम, सम्मान व शांति के साथ राष्ट्र की नि:स्वार्थ सेवा मिलकर करते चलें। एक दूसरे के सुख-दु:ख में परस्पर साथी बनें, भारत को जानें, भारत को मानें, भारत के बनें, यही एकात्म, समरस राष्ट्र की कल्पना संघ करता है। संघ का और कोई उद्देश्य या स्वार्थ इसमें नहीं है।

स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नवोत्थान के प्रारंभ काल में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें भारत माता को ही आराध्य मानकर कर्मरत होने का आह्वान किया था। 15 अगस्त, 1947 को पहले स्वतंत्रता दिवस तथा स्वयं के वर्धापन दिवस पर महर्षि अरविन्द ने भारतवासियों को संदेश दिया। उसमें उनके पांच सपनों का उल्लेख है। भारत की स्वतंत्रता व एकात्मता, यह पहला था। संवैधानिक रीति से राज्यों का विलय होकर एकसंध भारत बनने पर वे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। किन्तु विभाजन के कारण हिन्दू व मुसलमानों के बीच एकता के बजाय एक शाश्वत राजनीतिक खाई निर्माण हुई, जो भारत की एकात्मता, उन्नति व शांति के मार्ग में बाधक बन सकती है, इसकी उन्हें चिंता थी। जिस किसी प्रकार से जाए, विभाजन निरस्त होकर भारत अखंड बने, यह उत्कट इच्छा वे जताते हैं। क्योंकि उनके अगले सभी स्वप्नों को - एशिया के देशों की मुक्ति, विश्व की एकता, भारत की आध्यात्मिकता का वैश्विक अभिमंत्रण तथा अतिमानस का जगत में अवतरण को साकार करने में भारत की ही प्रधानता होगी, यह वे जानते थे। इसलिए कर्तव्य का उनका दिया संदेश बहुत स्पष्ट है-

'राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है, जिस पर अन्य सब कुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, न्योछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है, जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़ें तो उसी के लिए पढ़ो, शरीर, मन व आत्मा को उसकी सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो। अपनी जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है। सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहाँ से ज्ञान लेकर उससे उसकी सेवा कर सकें। उसके वैभव के लिए काम करो। वह आनंद में रहे इसलिए दु:ख झेलो। इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया।'

भारत के लोगों के लिए आज भी यही सार्थक संदेश है। गांव-गांव में सज्जन शक्ति। रोम रोम में भारत-भक्ति। यही विजय का महामंत्र है। दसों दिशा से करें प्रयाण। जय-जय मेरे देश महान।

□□□

NEW DRAFT FOR COMMON INCOME-TAX RETURN

(Inputs from Stakeholders and the General Public are invited till 15th Dec.)

Tax Gyan

Udyog Times Desk

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) New Delhi, 1st November, 2022 vide F No 370133/16/2022-TPL

Presently, taxpayers are required to furnish their Income-tax returns in ITR-1 to ITR-7 depending upon the type of person and nature of income.

The current ITRs are in the form of designated forms wherein the taxpayer is mandatorily required to go through all the schedules, irrespective of the fact whether that particular schedule is applicable or not. This increases the time taken to file the ITRs and in turn may create avoidable difficulties for taxpayers.

2. The proposed draft ITR takes a relook at the return filing system in tandem with international best practices. It proposes to introduce a common ITR by merging all the existing returns of income except ITR-7. However, the current ITR-1 and ITR-4 will continue. This will give an option to such taxpayers to file the return either in the existing form (ITR-1 or ITR-4) or the proposed common ITR, at their convenience.

3. The draft ITR aims to bring ease of filing returns and reduce the time for filing the ITR by individuals and non-business-type taxpayers considerably. The taxpayers will not be required to see the schedules that do not apply to them. It intends the smart design of schedules in a user-friendly manner with a better arrangement, logical flow, and increased scope of pre-filling. It will also facilitate the proper reconciliation of third-party data available with the Income-tax Department vis a vis the data to be reported in the ITR to reduce the compliance burden on the taxpayers.

4. The scheme of the proposed common ITR is as follows:

(a) Basic information (comprising parts A to E), Schedule for computation of total income (Schedule TI), Schedule for computation of tax (schedule TTI), Details of bank accounts, and a schedule for the tax payments (schedule TXP) is applicable for all the taxpayers.

(b) The ITR is customized for the taxpayers with applicable schedules based on certain questions answered by the taxpayers (wizard questions).

(c) The questions have been designed in such a manner and order that if the answer to any question is 'no', the other questions linked to this question will not be shown to him.

(d) Instructions have been added to assist the filing of the return containing the directions regarding the applicable schedules.

(e) The proposed ITR has been designed in such a manner that each row contains one distinct value only. This will simplify the return filing process.

(f) The utility for the ITR will be rolled out in such a manner that only applicable fields of the schedule will be visible and wherever necessary, the set of fields will appear more than once. For example, in the case of more than one house property, the schedule HP will be repeated for each property. Similarly, where the taxpayer has capital gains from the sale of shares taxable under section 112A only, applicable fields of schedule CG, relating to 112A, shall be visible to him.

4.1. As evident from above, the taxpayer is required to answer questions which apply to him and fill the schedules linked to those questions where the answer has been given as 'yes'. As a result, the time and energy of the taxpayer will be saved and he will be relieved of the additional burden of going through all the parts of the ITR as is the requirement under the existing ITRs. This will increase ease of compliance.

5. The draft ITR, based on the above scheme, is enclosed in Annexure A. Further, a sample ITR illustrating the step-by-step approach for filing the ITR in Annexure B and two customized sample ITRs for the firm and company in Annexure C and Annexure D respectively are also enclosed for illustrative purposes. Annexure A is a consolidated document containing all the questions, schedules, and detailed instructions thereon. It is reiterated that only relevant questions/schedules will apply to a taxpayer. Once the common ITR Form is notified, after taking into account the inputs received from stakeholders, the online utility will be released by the Income-tax Department. In such a utility, a customized ITR containing only the applicable questions and schedules will be available to the taxpayer.

6. The inputs on the draft ITR may be sent electronically to the email address dirtpl4@nic.in with a copy to dirtpl1@nic.in by 15th December 2022.

□□□

No GST on Subsidised Deduction made From Employees Availing Food in Factory or Corporate Office: Gujarat AAR

The Gujarat Authority of Advance Ruling (AAR) has ruled that GST is not payable on the subsidised deduction made by the applicant from the employees who are availing food in the factory/corporate office.

The applicant is in the business of manufacturing, supplying, and distributing various pharmaceutical products. The applicant has 1,200 employees in their factory and is registered under the provisions of the Factories Act of 1948. The applicant is required to comply with all the obligations and responsibilities cast under the provisions of the Factories Act 1948.

The employees are charged only for the days on which the employee has punched his ID card, and an amount equal to a predetermined percentage shall be deducted from the salary payable to the respective employee. The deduction was credited to the expense account in which the canteen expense was booked while the full amount of the invoice issued by the Canteen Service provider was booked as an expense in the applicant's profit & loss account without taking the benefit of the ITC of the GST paid on the Canteen Service Provider's invoice.

The applicant sought an advance ruling on the issue of whether the subsidised deduction made by the applicant from the employees who are

availing food in the factory/corporate office would be considered as a supply and liable for GST.

The AAR has observed that the applicant was providing a canteen facility to its permanent employees (on payroll) as per the contractual agreement between the employer and employee relationship and also in compliance of obligations and responsibilities cast under the provisions of the Factories Act 1948.

The AAR ruled that the provision of the services of canteen facilities cannot be considered as a supply of goods or services to their employees (Schedule-III) as they are neither Activities pertaining to Supply of Goods or Services and hence cannot be subjected to GST.

□□□

Rupee Depreciation pushes RBI to Internationalise INR

Current Issue

Udyog Times Desk

The Rupee plunged below the 82 mark for the first time against the US dollar on 29 September. By 10 October, the Rupee further slid downhill to 82.75. The currency had been on a fast-paced downslide over the recent months along with its Asian peers. Various factors have contributed to currency instability when the world is staring at a looming economic uncertainty.

The disruption of war in Ukraine & COVID-19 had lent a big blow to the global supply chains, unsettling global and regional connectivity. The sanctions on Russian crude and natural gas have critically affected many European countries. The supply-side constraints have been the major factor behind the high inflation rates reported by chief economies of the world.

So far, India is better than the US and other western economies. The inflation rate in India is around 7 per cent which is still in the manageable spectrum. The US and many European countries consistently report inflation rates of over 8 per cent which is way over the norms of advanced economies.

The climate of creeping instability is forcing all the money to be parked in safe havens like the US dollar as a hedge against potential risks. Foreign Institutional Investors (FIIs) had been net sellers in the Indian Stock Market during September.

RBI), sold its Foreign Exchange Reserves (Forex) aggressively from July to prevent the Rupee from crossing the psychological mark of 80. India's Forex dropped to $537.5 billion by 23 September, the lowest level since August 2020.

The Rupee Settlement System

The RBI for a long time has been deliberating on ways to reduce dependence on the US dollar and tide over US sanctions in various parts of the globe. In July, the RBI permitted international trade to be invoiced, denominated, and settled in Indian Rupee. Market forces would determine the rate of exchange of trade. Touted as an early step toward internationalization of the Indian Rupee, it remains to be seen how the step will play out in the long term.

Deputy Governor of the RBI said on 30 September that around five countries have responded positively to its plan to settle international trade in Rupees, but the process involves technicalities at the level of banks and is going to take some time.

If implemented in the long term, the mechanism would reduce the over-dependence on the US dollar and save precious Forex reserves. In the near future, major benefits could be reaped in trade with Russia and Iran, where the US sanctions have made the trade in US dollars almost impossibility. Countries with an export surplus with India might not be largely enthusiastic straightaway, because they will have no use for excess Rupee unless it has achieved widespread international acceptance.

Inclusion in Global Bond Indices

India's efforts to get included in the Global bond

indices is another step by the government that could alter the currency status-quo. The RBI is working closely with the government to enable international settlement of government securities and incorporation of rupee-denominated bonds in Global bond indices.

Russia's recent exclusion from the JP Morgan government bond index-emerging markets (GBI-EM) has left the index unbalanced boosting India's chances of inclusion. Morgan Stanley, a leading brokerage firm said that the inclusion could attract $170 billion to $250 billion to India in foreign inflows over the next decade. The firm also expects the Rupee to appreciate by 2 per cent every year in REER (Real Effective Exchange Rate) terms, in addition to creating a better investment climate.

JP Morgan GBI-EM and FTSE Russell-two Global bond indices have already put India on the watch list for possible inclusion. Major hindrances that need to be removed before inclusion are India's local bond settlement rules and tax hurdles. In September, GBI-EM deferred inclusion of Indian government bonds till early next year. The government is not yet willing to exempt foreign investors from capital gains tax because it would discriminate against domestic investors.

Pilot Launch of India's Digital Currency

On 7th October, the RBI released a concept note on the proposed digital Rupee. One of its stated objectives is the improvement in cross-border transactions. India is wary of the rapidly expanding Chinese CDBC (Central bank digital currency) project and fears being left behind if digital Yuan increases its stature as a global currency. India feels it has to set the ball rolling, to gain a fair share of future global transactions, denominated in Rupee.

Gradual depreciation of the Rupee may be good for boosting India's exports. Nevertheless, it is imperative to prevent drastic falls and preserve currency stability. Inclusion in Global bond indices would cater well for Rupee stability because it allows for parking of global passive funds in Indian markets. Expanding the horizons of Rupee will increase its worldwide acceptance and builds trust. □□□

Centre Amends the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 for Ease of Doing Business & Reducing Compliance Burden for Electronic Industries

The Department of Consumer Affairs vide the Legal Metrology (Packaged Commodities), (Second Amendment) Rules 2022 has allowed the electronic products to declare certain mandatory declarations through the QR Code for a period of one year, if not declared in the package itself.

This amendment will allow the industry to declare the elaborated information in the digital form through the QR Code. It will allow important declarations to be declared effectively on the label in the package while the other descriptive information can be conveyed to the Consumer through the QR Code.

The Department to enable greater use of technology in this digital era to declare the mandatory declaration through the QR Code which can be scanned to view the declarations like address of the manufacturer or packer or importer, the common or generic name of the commodity, the size and dimension of the commodity& customer care

details except the telephone number & e-mail address.

Earlier, all the prepackaged commodities including the electronic products are required to declare all the mandatory declarations as per the Legal Metrology (Packaged Commodities), Rules 2011 on the package.

□□□

MSMEs can Continue to Avail Non-Tax Benefits Post Reclassification

Wide Angle

CA Devendra Kataria, *Kota*

The Ministry of MSME has notified that in case of re-classification in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent re-classification, an enterprise shall continue to avail of all non-tax benefits of the category it was in before the re-classification for three years from the date of the such upward change.

Micro, small and medium enterprises will continue to avail all non-tax benefits in their respective categories post re-classification for three years, the government said recently.

The Ministry of MSME has notified that in case of re-classification in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent re-classification, an enterprise shall continue to avail of all non-tax benefits of the category it was in before the re-classification for three years from the date of the upward change.

"This decision has been taken after due deliberations with MSME stakeholders and is in line with the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan. The Ministry of MSME, Government of India, has allowed those registered MSMEs to continue to avail of non-tax benefits for three years, instead of one year, in case of an upward graduation in their category and consequent reclassification," an official statement said.

Non-tax benefits include benefits of various government schemes, including Public Procurement Policy, Delayed Payments, etc.

E-Invoicing

Eligibility -

- A registered person, other than
- a government department,
- a local authority,
- a Special Economic Zone unit and those referred to in sub-rules
- Insurance Company or Banking Company or Financial Institution
- GTA for transportation of goods by road
- Suppliers of Passenger Transportation Service
- Multiplex Screens

E-Invoicing Is required to issue, if -

- Aggregate Turnover in any FY from 2017-18 exceeds
- Rs. 500 Crores - w.e.f. 01.10.2020
- Rs. 100 Crores - w.e.f. 01.01.2021
- Rs. 50 Crores - w.e.f. 01.04.2021
- Rs. 20 Crores - w.e.f. 01.04.2022
- Rs. 10 Crores - w.e.f. 01.10.2022

E-Invoicing - Applicability -

- B2B Supply of Goods - At the time or Before Removal of Goods
- B2B Supply of Services - At anytime within 30 days of provisions of service
- B2C Supply of Goods or Services - Not Required
- Exempt Supply - Not Required
- Exports - Mandatory

E-Invoicing -Other Conditions -

- Rule 48. Manner of issuing invoice
- (5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
- Section 122. Penalty for certain offences. -(1) Where a taxable person who-
- (i) supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply.

Impact of non-issue of E-Invoicing-Rule 48(5)

ITC

- (a) Possession of a Tax Invoice or Debit Note
- (aa) Details furnished by supplier in GSTR 1 and communicated to Recipient-Finance Act, 2021 w.e.f. 01.01.2022

■ (b) Receipt of goods or Services
■ (ba) The Details communicated u/s 38 have not been restricted-Finance Act, 2022 w.e.f. 01.10.2022
■ (c) Tax charged has been actually paid.
■ (d) Furnished return under section 39
Input Tax Credit - Section 16
■ The Auto generated Statement shall contain: -
■ (a) Details on inward supplies whose ITC may be available
■ (b) Details of supplies whose ITC cannot be availed on account of:-
■ (i) Within such period of registration of supplier
■ (ii) Default in Payment of Tax by supplier
■ (iii) Tax payable in GSTR 1 > Tax paid in GSTR 3B by supplier
■ (iv) ITC has been taken > clause (a) above by supplier
■ (v) Defaulted Section 49(12) - Rule 86B by supplier
■ (vi) Such other class of persons as may be prescribed (Suppliers)
Input Tax Credit - Section 38
INTEREST AND PENAL PROVISIONS
Interest is levied in following cases: -
■ Return filed late
■ Additional Tax Paid through DRC-03 / GSTR 9
■ ITC reversal at a later date Interest Provisions
Interest is levied in following cases: -
■ Turnover of current month shown in the current return
■ Interest on Net Tax Liability @ 18% p.a.
■ Turnover of previous month shown in the current return
■ Interest on Gross Amount of Tax @ 18% p.a.
Interest Provisions - Return filed Late
Interest is levied in following cases: -
■ ITC is reversed from Credit Ledger
■ No Interest if the balance was maintained in the ECL
■ Interest will be payable from the date when the ECL Balance falls below the reversal amount
■ ITC reversal paid from Cash Ledger
■ Interest @ 18% p.a.
Interest Provisions - ITC Reversal
Penalty is levied in following cases:-
■ Tax Not Paid
■ Tax Short Paid
■ ITC wrongly awailed
■ ITC wrongly Utilised
■ Erroneous Refund
■ 100% of the Tax Amount for reasons of fraud.
■ 10% of the Tax Amount otherwise
Penalty Provisions -
Penalty is levied in following Offences: -
■ Supply of goods without issue of invoice
■ Issue of Invoice without supply of goods
■ Takes or utilize ITC without actual receipt of goods or services
■ Failure to maintain records
■ Issues invoice of document using GSTIN of another person
■ 10000/- or the Tax Amount whichever is higher
Offences
Penalty is levied in following Offences -
■ A false entry
■ An omission of an entry to evade tax
■ Penalty equal to the amount of false entry or omitted entry
Income Tax Penalty-271AAD
A false entry means:-
■ Forged or falsified invoice; or
■ Invoice in respect of supply or receipt of goods or services or both without actual supply or receipt of suchgoods or services or both; or
■ Invoice in respect of supply or receipt of goods or services or both to or from a person who does not exist Income Tax Penalty- 271AAD.

□□□

LUB's News in Brief

LUB's Coimbatore Unit conducts its Meeting of Core Committee

LUB's Coimbatore Unit conducts its Meeting of Core Committee on 15th October. TN State President Shri Mohana Sundaram and Joint General Secretary Shri Shivakumar both guided the members on various issues.

□□□

Former Prez Shri Krishna Visiting Industries for Futuristic Vision

LUB's former National President cum Hon. Consul for the Republic of Mali Shri HVS Krishna along with CBE former Treasurer and present Member of Advisory Committee Shri G. Soundararajan visited the industreis.

□□□

DPIIT notifies establishment of Credit Guarantee Scheme for Start-ups

(Scheme to Act as A Key Enabler & Risk Mitigation Measure for Lending Institutions, Enabling Collateral Free Funding to Startups)

New Horizons

Udyog Times Desk

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry has notified the establishment of the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) for providing credit guarantees to loans extended by Scheduled Commercial Banks, Non-Banking Financial Companies and Securities and Exchange Board of India (SEBI) registered Alternative Investment Funds (AIFs).

CGSS is aimed at providing credit guarantee up to a specified limit against loans extended by Member Institutions (MIs) to finance eligible borrowers' viz. Startups as defined in the Gazette Notification issued by DPIIT and amended from time to time. The credit guarantee cover under the Scheme would be transaction based and umbrella based. The exposure to individual cases would be capped at Rs. 10 crore per case or the actual outstanding credit amount, whichever is less.

In respect of transaction-based guarantee cover, the guarantee cover is obtained by the MIs on single eligible borrower basis. Transaction based guarantees will promote lending by Banks/ NBFCs to eligible startups. The extent of transaction-based cover will be 80% of the amount in default if the original loan sanction amount is up to Rs. 3 crore, 75% of the amount in default if the original loan sanction amount is above Rs. 3 crore, and up to Rs. 5 crore, and 65% of the amount in default if the original loan sanction amount is above Rs. 5 crore (up to Rs. 10 crore per borrower).

The umbrella-based guarantee cover will provide guarantee to Venture Debt Funds (VDF) registered under AIF regulations of SEBI (a growing segment of funding in Indian startup ecosystem), in view of the nature of funds raised by them and debt funding provided by them.The extent of umbrella-based cover will be the actual losses or up to a maximum of 5% of Pooled Investment on which cover is being taken from the fund in eligible startups, whichever is lower, subject to a maximum of Rs.10 crore per borrower.

Along with institutional mechanisms for operationalizing the Scheme, DPIIT will be constituting a Management Committee (MC) and a Risk Evaluation Committee (REC) for reviewing, supervising and operational oversight of the Scheme. The National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC)

will be operating the Scheme.

Prime Minister, Shri Narendra Modi launched Startup India Action Plan on 16th January 2016 to lay the foundation of Government support, schemes and incentives envisaged to create a vibrant startup ecosystem in the country. The Action Plan envisaged a Credit Guarantee Scheme to catalyze entrepreneurship through credit to innovators and encourage banks and other member institutions in the ecosystem for providing venture debt to startups.

A dedicated credit guarantee for DPIIT recognised start-ups will address the issue of unavailability of collateral free loan and enable flow of financial assistance to innovative startups through their journey to becoming full-fledged business entities. The Scheme further reiterates Government's focus towards promoting innovation and fostering entrepreneurship for making Indian startup ecosystem the best in the world.

With the objective of mobilising domestic capital for Indian startups, CGSS will complement the existing Schemes under Startup India initiative viz. Fund of Funds for Startups and Startup India Seed Fund Scheme.

The framework of CGSS has been prepared in extensive consultations with the stake holder sover the years with line ministries, banks, NBFCs, venture debt funds, academia and experts from startup ecosystem. The Scheme will act as a key enabler and risk mitigation measure for the lending institutionsenabling collateral free funding to startups. □□□

केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर कौशल विकास केन्द्र का किया अवलोकन

केन्द्रीय रेल, संचार एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती के निर्माणाधीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का अवलोकन किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचन्द्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम, राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक एवं सांसद श्री रामचरण बोहरा की उपस्थिति में टीम जयपुर ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्माणाधीन कौशल विकास केन्द्र के सम्बंध में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। 1.16 लाख वर्ग फुट के प्रस्तावित इस विशाल कौशल केंद्र की अनुमानित लागत 36.50 करोड़ रुपये है।

एलयूबी पूर्वोत्तर इकाई ने असम राज्यपाल श्री जगदीश मुखी से दीपावली उत्सव पर की शिष्टाचार भेंट

एलयूबी पूर्वोत्तर इकाई के पदाधिकारियों ने 27 अक्टूबर को असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी से दीपावली उत्सव पर भेंट कर शुभकामनाएं दी तथा उन्हें ग्राम-शिल्पी समाज की सहायतार्थ आयोजित दीपावली दीपक वितरण कार्यक्रम से अवगत करवाया। इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक परिवेश पर भी चर्चा हुई।

राजस्थान प्रदेश का क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन किशनगढ़ में संपन्न

रिपोर्ट

उद्योग टाइम्स डेस्क

लघु उद्योग भारती, राजस्थान प्रदेश का क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन किशनगढ़ के आर. के. कम्युनिटी सेंटर में 30 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया गया।

प्रथम सत्र दीप-प्रज्वलन एवं संगठन-मंत्र वाचन के साथ प्रारम्भ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ ने स्वागत भाषण दिया और प्रदेश में उद्योग हित में संगठन की सक्रियता और कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री श्री मुकेश अग्रवाल ने क्षेत्रीय सम्मेलन की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की।

द्वितीय सत्र में प्रांत सह बैठक आयोजित की गई जिसमें जोधपुर प्रांत की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल, जयपुर प्रांत की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, चित्तौड़ प्रांत की बैठक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल ने ली। इस सत्र में इकाइयों से स्थानीय समस्याओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

तृतीय सत्र में महिला कार्य से संबंधित जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह ने दी। ग्राम शिल्पी, स्वावलंबी भारत योजना एवं स्वरोजगार योजना के बारे में श्री योगेंद्र शर्मा और विनय बम्ब ने जानकारी दी। सोशल मीडिया पर श्री राधेश्याम चोयल, व्यवस्था परिवर्तन पर श्री घनश्याम ओझा और आयाम कार्य पर श्री शांतिलाल बालड़ ने विचार रखे।

चतुर्थ-सत्र में एमएसएमई सेक्टर के समक्ष चुनौतियां और संभावनाएं तथा प्रतिस्पर्धा में स्वयं के उद्यम को कैसे स्थापित रखें जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रख्यात आर्थिक चिंतक और स्वावलम्बी भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक श्री भगवती प्रकाश ने मार्गदर्शन किया।

अंतिम सत्र भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र, अर्थ शास्त्री श्री भगवती प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, श्री नितिन अग्रवाल एवं श्री गुरविंदर सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ। आर. के. मार्बल के श्री सुरेश पाटनी, मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री सुधीर एवं श्री सीएम ने अतिथियों का स्वागत किया।

केन्द्रीय संस्कृति एवं बाल विकास मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से विकसित भारत की कल्पना साकार हो रही है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र से बार-बार जीएसटी की श्रेणियों को लेकर आ रही शिकायतों पर सरकार शीघ्र निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के केवल दो स्लैब रखने पर विचार हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं चालू करने और वियतनाम जैसे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले मार्बल-ग्रेनाइट की सीलिंग स्थानीय स्तर पर करने के लिए संबंधित मंत्रालय से समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने ईएसआई हॉस्पिटल स्थापित करवाने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चन्द्र ने उद्योगों के विकास मार्ग का उल्लेख करते हुए उद्यमियों से चुनौतियों के बीच से मार्ग बनाकर चलने का आह्वान किया।

सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने मार्बल पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने, उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कमी के साथ टेक्सटाइल और पॉवरलूम उद्योगों को राहत प्रदान करने की मांग की। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ ने लघु उद्योगों की समस्याओं पर सदन का ध्यानाकर्षण किया। कार्यक्रम को बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री केके चौधरी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। किशनगढ़ इकाई अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में उद्यमी श्री उमेश गोयल, श्री मनोज अग्रवाल, श्री जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, श्री दिवाकर दाधीच, श्री सुनील जाखेतिया, श्री सुनील अग्रवाल, श्री प्रहलाद अग्रवाल, श्री प्रकाश भोमावत, श्री पवन बंगाली, श्री अखिलेश मालपानी, श्री रसिक दरगड़, श्री राजेश गोयल, श्री सुनील, श्री राजीव चौधरी, श्री राजीव चोरड़िया, श्री संपत सुराणा एवं श्री विकास अग्रवाल का सहयोग सराहनीय रहा। □□□

राजसमंद महिला इकाई ने स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया सफल आयोजन

(प्रदर्शनी ने स्वावलंबी भारत और महिला सशक्तिकरण को लघु रूप में प्रदर्शित किया)

लघु उद्योग भारती, राजसमंद महिला इकाई की ओर से 15- 16 अक्टूबर को दो दिवसीय स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का सफल आयोजन कांकरोली पुरानी सब्जी मंडी परिसर में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ भारत माता एवं भगवान विश्वकर्मा के चित्र के समक्ष पूजन के साथ किया गया। स्वागत उद्बोधन महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती किरण बापना ने किया। मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि महिला इकाई की ये अभिनव पहल महिला सशक्तिकरण में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष श्री योगेन्द्र शर्मा ने संगठन की गतिविधियों और प्रदेश मंत्री महिला इकाई श्रीमती रीना राठौड़ ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक भी उपस्थिति रहे। महिला इकाई सचिव श्रीमती लीला लड्ढ़ा ने आभार प्रदर्शित किया।

उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनी में 42 स्टॉल्स पर प्रदर्शित किए गए विविध उत्पाद स्वयं महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित थे। प्रदर्शनी में आमंत्रित समस्त अतिथियों को महिला इकाई की ओर से बनाए गए मिटटी के दीपक और हस्तशिल्प उपहार सम्मान स्वरूप भेंट किए गए।

इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश सचिव श्री सुनील बूब, राजसमंद शाखा अध्यक्ष श्री हर्षलाल नवलखा, सचिव श्री संदीप श्यामसुखा, कोषाध्यक्ष श्री बृजगोपाल मालू, उपाध्यक्ष श्री उत्तम कावड़िया, श्री पवन कोठारी, श्री निर्मल बड़ाला, श्री राकेश लड्ढ़ा, श्री कुलदीप व्यास, श्री प्रसून राठी एवं अन्य सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान एलयूबी राजसमंद इकाई ने घुमन्तु समाज बंधुओं के 200 परिवारों को तेल, दीपक, पटाखे, मां लक्ष्मी जी का चित्र और मिठाई के पैकेट वितरित किए।

□□□

राजस्थान के नागौर जिले में खीवसर इकाई का शुभारम्भ

लघु उद्योग भारती, राजस्थान के नागौर जिले की खीवसर इकाई का शुभारम्भ 101 सदस्यों के साथ 18 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी, एलयूबी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, प्रदेशाध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष श्री महावीर चौपड़ा, श्री मेघराज लोहिया, जोधपुर प्रांत संयुक्त महासचिव श्री सुरेश विश्नोई, कोषाध्यक्ष श्री दीपक माथुर, श्री भोजराज सारस्वत, नागौर इकाई अध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल सहित कई उद्यमीगण उपस्थित थे।

खीवसर इकाई मे श्री मोहनलाल बूब संरक्षक, श्री प्रहलाद मेहरिया अध्यक्ष, श्री रामकैलाश खदाव सचिव, श्री ओम अरोड़ा कोषाध्यक्ष, श्री राजेन्द्र प्रसाद जागिड़, श्री पंकज शर्मा व श्री महेन्द्र चम्पावत उपाध्यक्ष, श्री ऋषिराज लोहिया सह-सचिव व कार्यकारिणी सदस्य के रूप मे श्री प्रेम सियाग, श्री दीपक सोनी, श्री सौरभ मालपानी श्री धनराज चौहान, श्री जितेन्द्र बडियासर एवं श्री पवन लाखोटिया मनोनीत किये गए।

□□□

LUB's News in Brief

सिंगापुर ट्रेड एंड इंडस्ट्री प्रतिनिधिमंडल से आपसी सहयोग पर चर्चा

लघु उद्योग भारती मुख्यालय में सिंगापुर ट्रेड एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली प्रांत के पदाधिकारियों ने 13 अक्टूबर को आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। बातचीत में एमएसएमई के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेशन एवं जॉइंट वेंचर पर अच्छी चर्चा हुई। चर्चा में अध्यक्ष श्री वीरेंद्र नागपाल, महामंत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री दीवान चंद, पूर्व अध्यक्ष श्री रविंद्र बंसल, श्री सम्पत तोषनीवाल, महिला इकाई से श्रीमती नेहा कौशिक एवं अनु मिनोचा ने भाग लिया। □□□

एलयूबी दिल्ली ने इंडस्ट्री-4.0 विषयक कार्यशाला का आयोजन किया

एलयूबी दिल्ली और पॉलिसीवॉच इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 14 अक्टूबर को इंडस्ट्री-4.0 विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एनएसआईसी के डिजिटल हेड श्री विद्यासागर और फ्लिपकार्ट के एसोसिएट डायरेक्टर श्री गिरीश नायर ने ऑटोमेशन, एआई के उपयोग पर विस्तार से जानकारियां दी। सत्र की अध्यक्षता दिल्ली लघु उद्योग भारती अध्यक्ष श्री वीरेंद्र नागपाल ने की। इस कार्यशाला में डिजिटल भारत मिशन की सराहना की गयी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनहित कार्यों में उपयोग किया गया। साथ ही फ्लिपकार्ट द्वारा ऑटोमेशन की सहायता से छोटे उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग की भी विस्तार से चर्चा की गयी। लघु उद्योग भारती के श्री ओमप्रकाश ने बताया कि छोटे उद्योगों को अपने कारखानों की मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए जो आधुनिक तकनीक से सम्भव है। □□□

दिल्ली प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने CPCB मुख्यालय में ज्ञापन दिया

PWM रूल्स की विसंगतियों के कारण प्लास्टिक उद्यमियों के समक्ष आ रही समस्याओं के लिए दिल्ली प्रदेश के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष, श्री वीरेन्द्र नागपाल के नेतृत्व में CPCB मुख्यालय में सुश्री दिव्या सिन्हा (वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्लास्टिक डिवीजन) से 10 अक्टूबर को मुलाकात की। इस अवसर पर PMW रूल्स के दोनों आयामों (पैकेजिंग और रीसाइक्लिंग) के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये गए। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक रीसाइक्लिंग करने वालों को केवल CPCB पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों से ही व्यवसाय करने की बाध्यता के अनुचित प्रावधान को हटाने के लिए संगठन प्रयासरत है। □□□

स्वयंसिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर-2022 कटनी में 16 दिसंबर से

मध्यप्रदेश के कटनी शहर में 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाले स्वयंसिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर-2022 में 100 स्टॉल पर उत्पाद प्रदर्शित किये जायेंगे। ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म लिंक यहां दिया जा रहा है https://forms.gle/WsLMwmjycbWnP~Db|*

स्टॉल लगाने के लिए पात्र उद्यमियों को संपूर्ण राशि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएंगी। स्टॉल बुकिंग हेतु इन नम्बरों पर सम्पर्क करें- 7000942464, 9755701750 □□□

एलयूबी भोपाल के श्री मीतेश लोकवानी टास्क फोर्स में सदस्य मनोनीत

मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समुचित विकास हेतु नीति तैयार करने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से संबंध स्थापित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स में लघु उद्योग भारती भोपाल इकाई के सदस्य श्री मीतेश लोकवानी को सदस्य मनोनीत किया गया है। □□□

बयाना में नई इकाई का हुआ गठन

एलयूबी राजस्थान में बयाना इकाई का गठन 15 अक्टूबर को 26 सदस्यों के साथ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाशचंद्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मितल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, प्रदेश महामंत्री श्री मुकेशचन्द्र अग्रवाल, जयपुर अंचल अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग, भरतपुर इकाई अध्यक्ष श्री सुनील प्रधान, सचिव श्री संजय चौधरी सहित अनेक उद्यमी उपस्थित थे। बयाना इकाई में श्री धर्मसिह चौधरी व श्री चन्द्रप्रकाश संरक्षक, श्री नितिन सिंघल अध्यक्ष, श्री रामबाबू धाकड व श्री कुलदीप धाकड उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद जैन कोषाध्यक्ष एवं श्री केतन बंसल सचिव पद पर मनोनीत किए गए। □□□

अजमेर जिले में केकड़ी इकाई गठित

एलयूबी अजमेर जिले की केकड़ी इकाई का गठन 29 अक्टूबर को किया गया 34 सदस्यों के साथ। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ताराचन्द गोयल, प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, चितौड प्रांत अध्यक्ष श्री योगेन्द्र शर्मा, महामंत्री श्री पवन गोयल, अजमेर जिला अध्यक्ष श्री अजीत अग्रवाल एवं सचिव श्री कुणाल जैन उपस्थित थे। केकडी इकाई अध्यक्ष श्री अनिल मित्तल, सचिव श्री महेश मंत्री व

कोषाध्यक्ष श्री अंकित जैन मनोनीत किए गए।

एलयूबी उत्तराखंड में समन्वय बैठक आयोजित

लघु उद्योग भारती उत्तराखंड में जिलों की समन्वय बैठक 10 अक्टूबर को आयोजित की गई जिसमे सदस्यता अभियान, महिला उद्यमिता व उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा हुई साथ ही 25 नए सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की और जनपदों के प्रभारी अधिकारियों का सम्मान हुआ।

ब्यावर महिला इकाई ने बैंकिंग सिस्टम को सीखा

एलयूबी ब्यावर महिला इकाई ने अपने सदस्यों के लिए बैंक से परिचय कार्यक्रम स्थानीय यस बैंक शाखा में 15 अक्टूबर को आयोजित किया जिसमें 14 सदस्यों ने बैंकिंग सिस्टम को समझा। शाखा प्रबंधक श्रीमती स्वाति शर्मा, श्री मनोज सिंह चौहान तथा श्री विजय गौतम ने सभी सदस्यों को चालू खाता, बचत खाता, आधार उद्यम, नेट बैंकिंग, आरडी/ एफडी, डेबिट कार्ड के प्रयोग, महिला उद्यमियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम सहित संपत्ति अधिनियम एवं बीमित के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

कोटा इकाई ने जीएसटी पर किया सेमिनार

एलयूबी राजस्थान की कोटा इकाई द्वारा 29 अक्टूबर को GST विषयक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ITC के नये प्रावधान, रिहायशी संपत्ति के किराए पर जीएसटी, E-Invoicing एवं पेनल्टी प्रोविजन्स को शामिल किया गया। विषय विशेषज्ञ के रूप में पूर्व अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एवं राजस्थान राज्य सरकार जीएसटी समिति सदस्य एडवोकेट श्री एम एल पटौदी, इंस्टिट्यूट ऑफ चॉर्टर्ड अकाउण्टेंटस के नेशनल ट्रेनर सीए देवेंद्र कटारिया एवं वरिष्ठ कर सलाहकार श्री गोविंदराम मित्तल थे। कार्यक्रम में पूर्व इकाई अध्यक्ष श्री विपिन सूद, श्री यशपाल भाटिया, श्री राजेंद्र जैन, श्री मनोज राठी सहित अनेक उद्यमी उपस्थित थे।

रेल मंत्रालय की योजना एक स्टेशन-एक उत्पाद के तहत दो स्टॉल का शुभारंभ

रेल मंत्रालय की योजना में डूंगरपुर इकाई द्वारा संचालित स्टॉल का शुभारंभ रेल मंत्रालय की योजना एक स्टेशन-एक उत्पाद के अंतर्गत एलयूबी डूंगरपुर द्वारा संचालित दो स्टॉल का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री इंद्रजीत यादव, सभापति नगर परिषद श्री अमृतलाल कलासुआ और ग्राम शिल्पी उद्यमी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री योगेंद्र शर्मा की उपस्थिति में किया गया। एक स्टॉल पर लघु उद्योग भारती द्वारा संचालित कल्याणी कुटीर उद्योग के मिट्टी से निर्मित उत्पाद तथा दूसरी स्टॉल पर स्थानीय शिल्पकार सोमपुरा समाज की मूर्तिकला को स्थान दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस कार्य को और गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए इकाई को अति शीघ्र जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया है।

भरतपुर में जिला उद्यमी सम्मेलन आयोजित

एलयूबी राजस्थान की भरतपुर इकाई की ओर से जिला उद्यमी सम्मेलन 15 अक्टूबर को आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षश्री ओमप्रकाश मित्तल, प्रदेश महामंत्री श्री मुकेश चन्द्र अग्रवाल, जयपुर अंचल अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख उद्योगपति श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, श्री दीपराज सिंह, भरतपुर इकाई अध्यक्ष श्री सुनील प्रधान, सचिव श्री संजय चौधरी सहित अनेक उद्यमी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उद्यमियों, श्रमिकों, महिलाओं व समाज-सेवकों का सम्मान किया गया।

काशी प्रांत में नई इकाई का गठन

लघु उद्योग भारती काशी प्रांत की बैठक प्रयागराज में 2 अक्टूबर को आहूत की हुई जिसमें प्रयागराज जिले की नई इकाई का गठन हुआ। प्रदेश महामंत्री श्री रविंद्र सिंह और अध्यक्ष काशी प्रांत श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इकाई के नए अध्यक्ष श्री संजय जैन, महामंत्री श्री विक्रम टंडन तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती अरुणिमा परोलिया को मनोनीत किया गया।

रोजगार सृजन केन्द्र का उद्घाटन

लघु उद्योग भारती के सहयोग से दुर्ग जिले में रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रोजगार सृजन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

दिल्ली प्रांत महिला इकाई ने स्वास्थ्य सेवाओं में की प्रेरक पहल

लघु उद्योग भारती दिल्ली प्रांत महिला इकाई ने इस वर्ष अपने सेवा कार्य प्रारम्भ करते हुए कार्यस्थल पर ही कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित करने की पहल की है। इस शिविर में करीब 20 प्रकार की जांच की जा रही हैं।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

PSB- APNA GHAR

PSB UniC
You & I Connected
Mobile & Internet Banking Solution

https://punjabandsindbank.co.in APPLY NOW

1800 419 8300 (Toll Free)

Follow us @PSBIndOfficial

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 October, 2022
Registration No. RAGBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

LUB's New Unit Bayana of Bharatpur District in Rajasthan State was inaugurated in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra, Former National President Shri OP Mittal & National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha on 15th Oct. 2022.

LUB's Coimbatore Unit conducted a Meeting for Core Committee in the presence of TN State President Shri Mohana Sundaram and Joint General Secretary Shri Shivakumar on 15th Oct. 2022.

LUB's Delhi State Unit & Policy Watch India jointly organized a Workshop on Industry 4.0 for sharing deep insight of Artificial Intelligence & Automation on 14th Oct. 2022.

LUB's National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha and President Rajasthan State Shri Shantilal Balad addressed a Meeting of Jodhpur Anchal Executive on 1st Oct. 2022.

LUB's Jalandhar Unit of Punjab State observed a Meeting of EC.

LUB's National Secretary Shri Sameer Mundara attended a Meeting of Governing Body of Madhya Pradesh Council for Science & Technology presided over by Chief Minister.

An In House Monthly Magazine of Laghu Udhog Bharti, Published by Om Prakash Mittal Printed at RAJ BLOCKS, B-81, Road No. 4, 22 Godown Industrial Area Kartapura, JAIPUR-302019